भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या–968
दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मालदीव में भारतीय शिक्षकों पर धन प्रेषण संबंधी सीमाएं

968. **श्री राजमोहन उन्नीथनः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस इस बात की जानकारी है कि मालदीव में भारतीय शिक्षकों को धन प्रेषण संबंधी सख्त सीमा के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उचित और वैध धन प्रेषण स्तर बनाए रखने के लिए मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ कोई राजनयिक बातचीत प्रस्तावित है; और

(ग) यदि हां, तो इन द्विपक्षीय चर्चाओं को आरंभ करने और समाप्त करने संबंधी समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) जी हां, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण विदेशों में धनराशि प्रेषण की सुविधा के लिए मालदीव में बैंकों को प्रति माह अमेरिकी डॉलर की सीमित राशि आवंटित करता है। इसने विदेशी नागरिकों के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक धनराशि प्रेषण की सुविधा प्रदान करने से मालदीव में बैंकों की क्षमता प्रभावित हुई है। मालदीव की स्थानीय मुद्रा (मालदीव की रुफिया-एमवीआर) में अपने वेतन अर्जित करने वाले भारतीय नागरिकों ने धनराशि प्रेषण सीमा के कारण आने वाले मुद्दों को उठाया है। तथापि, अमेरिकी डॉलर में अपना वेतन अर्जित करने वाले भारतीय नागरिकों को भारत में अपना धनराशि के प्रेषण भेजने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है।

(ख और ग) मालदीव सरकार और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ इस मुद्दे को उठाया गया है, जिसमें मालदीव में बैंकों को अमेरिकी डॉलर के आवंटन को बढ़ाने में उनके समर्थन का अनुरोध किया गया है। इन प्रयासों के कारण, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने नवंबर 2025 में एसबीआई माले को डॉलर आवंटन में वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप एसबीआई ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए धनराशि प्रेषण सीमा 150 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 300 अमेरिकी डॉलर कर दी है।
